फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हुक्माराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा– दावा मु0नं0– 156/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

निर्णय दावा उदघोषणा एवं स्थाई निषे0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय वादपत्र हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खसरा नंबर 363 रकबा 0.1800 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 101 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम भराव तह0 बहरावण्डा में स्थित है जिसकी खातेदारी मूल्या जाति कण्डेरा के नाम दर्ज एवं अंकित रही है। लेकिन उक्त आराजी में खातेदार मूल्या जाति कण्डेरा के पिता का नाम खेवट खतौनी में दर्ज नहीं होने से उक्त खाता प्रारम्भ से ही अपवादित खाते की श्रेणी में रहा है जिस पर तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा उक्त खाते में वर्णित आराजी खसरा नंबर 363 को बतौर सिवायचक दर्ज कर राजकीय भूमि खाता संख्या 1 में दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के पिता अर्जुन का कब्जा चला आ रहा है गिरदावरियों में भी वादीगण के पूर्वजों का नाम बतौर काश्तकार दर्ज रहा है। अर्जुन की मृत्यू उपरान्त वादीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है। लेकिन तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार कर विवादित भूमि पर वादीगण एवं उनके पूर्वज कब्जा काश्त होने से वादीगण को एडवर्ष पजेशन के आधार पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का वादीगण अधिकारी है। तथा कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषे0 से पाबंद करवाने हेतु अधिकारी है। वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त भूमि सिवायचक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश कमांक 248 दिनांक 23.02.2019 की पालना में नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 13.03.2019 के द्वारा खातेदार का नाम हटाकर सिवायचक दर्ज की गई है। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित भूमि सिवायचक न्यायालय आदेश से दर्ज की गई है इसलिए वादीगण को यदि सिवायचक दर्ज किए जाने के संबंध में अनुतोष चाहिए तो न्यायालय आदेश की अपील पेश करनी चाहिए तथा एडवर्ष पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारी दिया जाना नियमानुसार नहीं है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त भूमि पर संवत 2081 में वादिगणों का कब्जा करने पर धारा 91 की कार्यवाही की जाकर इनको बेदखल किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि दावा वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा